

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2)विभाग

क्रमांक-प. 3(1)कार्मिक/क-2/2013

जयपुर, दिनांक :

24 JUN 2016

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं
जिला कलेक्टर) सहित।

परिपत्र

विषय-मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत दिनांक 5.7.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों की टंकण गति परीक्षा कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(67)कार्मिक/क-2/84 दिनांक 31.07.99 की अनुपालना में भाषा विभाग द्वारा आयोजित की जाती रही है। भाषा विभाग द्वारा दिनांक 5.7.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों की हिन्दी/अंग्रेजी, टंकण गति परीक्षा, उनके विकल्पानुसार कम्प्यूटर अथवा टंकण यंत्र (टाईपराईटर) पर एवं दिनांक 5.7.2010 व इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की हिन्दी/अंग्रेजी टंकण गति परीक्षा, कम्प्यूटर पर ली जाती रही है।

भाषा विभाग के परिपत्र दिनांक 09.05.2013 के अनुसार दिनांक 05.07.2010 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों को टंकण गति परीक्षा टाईपराईटर/कम्प्यूटर पर देने का विकल्प प्रदान किया गया था। चूंकि वर्तमान में दिनांक 5.7.2010 से पूर्व अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त अनेक कार्मिकों द्वारा टंकण गति परीक्षा टाईपराईटर पर ही देने का विकल्प चुना हुआ है। इनमें से कुछ कार्मिकों द्वारा उक्त नियम 1996 के नियम 9 में अपेक्षित टंकण गति परीक्षा अभी तक भी उत्तीर्ण नहीं की है जो कि उन्हें नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए थी। अतः ऐसे सभी कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 5.7.2010 से पूर्व हुई है तथा जिन्होंने टंकण परीक्षा टाईपराईटर पर देने का विकल्प चुना है और अभी तक नियमानुसार टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनको भाषा विभाग द्वारा आयोजित टंकण गति परीक्षा (टाईपराईटर पर) में सम्मिलित होने हेतु एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। इस संबंध में पृथक से शिथिलता की आवश्यकता नहीं होगी। इसके पश्चात भविष्य में किसी भी कार्मिक को टाईपराईटर पर टंकण गति परीक्षा का विकल्प प्रदान नहीं किया जावेगा क्योंकि इसके पश्चात

25/2016

उत्तीर्ण होने से शेष रहे सभी कार्मिकों को टंकण गति परीक्षा कम्प्यूटर पर ही देनी होगी।

टंकण यंत्र (टाईपराईटर) पर अन्तिम परीक्षा का आयोजन भाषा विभाग द्वारा माह जनवरी 2017 में किया जावेगा जिसके लिए आवेदन 31 दिसम्बर, 2016 तक भरे जा सकेंगे। विस्तृत कार्यक्रम भाषा विभाग द्वारा जारी किया जावेगा। उसके पश्चात् भाषा विभाग किसी भी कार्मिक को टंकणयंत्र पर परीक्षा की अनुमति नहीं देगा।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 5.7.2010 से पूर्व की है और जिन्होंने टंकण गति परीक्षा टाईपराईटर पर दिये जाने का विकल्प चुना हुआ है, उनके आवेदन आवश्यक रूप से टंकण गति परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित तिथि को भाषा विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर की जानकारी तत्काल सभी संबंधित कर्मचारियों तक पहुँचाना और उन्हें टंकण परीक्षा के इस अन्तिम अवसर का लाभ उठाने हेतु पर्याप्त तैयारी करने के संबंध में प्रेरित करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

(भास्कर ए. सावन्त)
शासन सचिव

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए-2/टंकण परीक्षा/2015/288

दिनांक :- 06/07

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने अधीनस्थ जि.शि.अ.(माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय को पाबंद करावें।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 05.07.2010 से पूर्व की है और जिन्होंने टंकण गति परीक्षा टाईपराईटर पर दिये जाने का विकल्प चुना हुआ है, उनके आवेदन आवश्यक रूप से टंकण गति परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित तिथि को भाषा विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर की जानकारी तत्काल सभी संबंधित कर्मचारियों तक पहुँचाना और उन्हें टंकण परीक्षा के इस अन्तिम अवसर का लाभ उठाने हेतु पर्याप्त तैयारी के संबंध में प्रेरित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। आप अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को भी इस हेतु पाबंद करें।
3. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को शिक्षा विभाग की वेब साईट पर अपलोड हेतु।
4. सम्पादक शिविरा अनुभाग को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु।
5. प्रभारी फ़ैक्स/ई-मेल निजी अनुभाग (निदेशक) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र की प्रति समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) एवं समस्त जि.शि.अ.(माध्यमिक) प्रथम-द्वितीय को फ़ैक्स/ई-मेल द्वारा भिजवाने का श्रम करावें।
6. प्रभारी ए-1/ए-3/ए-4 सामान्य प्रशासन अनुभाग कार्यालय हाजा।

(अतिरिक्त निदेशक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

80/2015
अनु.